

उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत डोरन्डा शंख भेण्डा पटना पथ के चौडीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि

जो निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (हेक्टर में)
1	गिरिडीह	गाँवा	करमाटॉड	240	01	50	0.412
योग-							0.412

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 0.412 हेक्टर में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

—

उपायुक्त, गिरिडीह।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 2845/रा. दिनांक 28/12/2017

प्रतिलिपि:-

कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

उपायुक्त, गिरिडीह।